(२२)

(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1477-दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-03-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 140/अपील/2015-16.

लालजी गुप्ता पिता श्री रामनारायण गुप्ता
निवासी- ग्राम मनगवा तहसील मनगवा जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

सत्यनारायण तनय हीरालाल गुप्ता
निवासी- ग्राम मनगवा तहसील मनगवा जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

श्री आर0एस0 सेंगर, अधिवक्ता, आवेदक
श्री जवाहर लाल दुबे, अधिवक्ता, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 15-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक ने तहसीलदार, तहसील मनगंवा जिला रीवा के रा.प्र. क्रमांक 40/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 02-9-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के तहत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगंवा जिला रीवा के न्यायालय में पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 07-11-2015 को आदेश पारित कर अपील खारिज की। इस के विरूद्ध यह अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 140/अपील/2015-16 दर्ज कर दिनांक 15-03-16 को

आदेश पारित कर द्वितीय अपील खारिज की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ग्राम खम्हारी तहसील हनुमना की आराजी क्रमांक 17/5 रकवा 0.978 हे0 का अभिलिखित भूमिस्वामी है। विवादित भूमि पर आवेदक द्वारा गोमती रखकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध पाया गया है। तहसीलदार ने विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। इस प्रकरण में भूमि के उपखण्ड का निराकरण व्यवहार न्यायालय से होना है। अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 250(3) के आदेश का क्रियान्वयन हो चुका है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा भी उचित पाते हुये स्थिर रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में ऐसे कोई नये महत्वपूर्ण तथ्य नहीं प्रस्तुत किये हैं जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 15-03-2016 स्थिर रखा जाता है।

04/02/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर